



2026:AHC:67581

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

प्रथम अपील संख्या-118 सन् 2014

यू.पी. स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

...अपीलकर्ता

बनाम

मोह. निसार @ बड़े लल्ला

....प्रतिवादी

अपीलकर्ता की ओर से : श्री शिवम यादव

प्रतिवादी की ओर से : श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता; श्री जितेन्द्र पाल सिंह, श्री प्रदीप कुमार सिंह

ए.एफ.आर.

कोर्ट नंबर - 39

(माननीय न्यायमूर्ति संदीप जैन द्वारा प्रदत्त)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1. प्रस्तुत अपील प्रतिवादी-अपीलकर्ता यू.पी. स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 96 के अंतर्गत, मूल वाद संख्या 40 सन् 2009 (मोहम्मद निसार @ बड़े लल्ला बनाम यू.पी. स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड) में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय संख्या-1, पीलीभीत द्वारा दिनांक 28.11.2013 को पारित आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा वादी को दिनांक 02.01.2007 को प्रतिवादी की उच्च-दाब विद्युत लाइन से विद्युताघात लगने के कारण हुई चोटों के लिए रु.3,87,500/- (रुपये तीन लाख सतासी हजार पाँच सौ मात्र) का प्रतिकर, वाद लंबित रहने की अवधि (Pendente Lite) तथा भविष्य के लिए 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित, प्रदान किया गया है।

वादी का वाद (वादपत्र के कथन)

2. वादी का कथन है कि वह एक श्रमिक है, जो दुर्घटना के समय लगभग रु.150/- प्रतिदिन अर्जित करता था। दिनांक 02.01.2007 को लगभग दोपहर 1:30 बजे, जब वह अपने घर के सामने स्थित एक दुकान के निकट खड़ा था, तभी उसके ऊपर से गुजरने वाला एक सजीव ओवरहेड उच्च-दाब विद्युत तार अचानक टूटकर उसके ऊपर गिर गया, जिससे उसे विद्युताघात लगा और उसके शरीर पर अत्यंत गंभीर विद्युत-दग्ध चोटें आईं। यह भी अभिकथित किया गया कि उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पूरनपुर ले जाया गया तथा तत्पश्चात भारत रश्मि नर्सिंग होम, पीलीभीत स्थानांतरित कर दिया गया। उक्त नर्सिंग होम में उपचार के दौरान उसका जीवन बचाने के लिए उसका बायाँ हाथ विच्छेदित करना पड़ा। यह भी अभिकथित किया गया कि विद्युताघात के कारण उसके शरीर के अन्य भागों तथा उसके गले एवं गर्दन पर भी अत्यंत गंभीर चोटें आईं। यह भी अभिकथित किया गया कि उसने अपने उपचार पर रु.1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) व्यय किए हैं तथा उसका उपचार अभी भी जारी है। यह भी अभिकथित किया गया कि उसके गले में एक छिद्र है और उसकी स्थिति अभी भी अस्थिर है तथा विद्युताघात से लगी चोटों के कारण उसे स्थायी दिव्यांगता हो गई है। यह भी अभिकथित किया गया कि उपचार संबंधी व्यय की पूर्ति हेतु उसने अपने रिश्तेदारों एवं मित्रों से पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की है। यह विशेष रूप से अभिकथित किया गया कि विद्युताघात से हुई चोटों के कारण उसकी गर्दन एवं गले, छाती, बाएँ हाथ तथा दाएँ हाथ पर गंभीर विद्युत-दग्ध चोटें आईं तथा विद्युत आघात के कारण उसके मस्तिष्क, स्मरण-शक्ति एवं

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

वाणी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यह भी अभिकथित किया गया कि उसे लगी चोटों के परिणामस्वरूप उसे 65% स्थायी दिव्यांगता हो गई है। यह भी अभिकथित किया गया कि प्रतिवादी अपनी विद्युत संचरण लाइन के समुचित अनुरक्षण एवं रखरखाव में असावधान एवं लापरवाह था तथा उसकी मरम्मत एवं रखरखाव न किए जाने के कारण ही उक्त दुर्घटना घटित हुई। अतः वादी को हुई चोटों के लिए प्रतिकर का भुगतान करने का दायित्व प्रतिवादी पर है।

3. यह भी अभिकथित किया गया कि दुर्घटना की तिथि अर्थात् 02.01.2007 से वाद संस्थित किए जाने तक वादी को अपनी आय में रु.30,000/- की हानि हुई है (जिसकी गणना रु.125/- प्रतिदिन की दर से की गई है)। यह भी अभिकथित किया गया कि उसे भविष्य की आय में रु.10,00,000/- की हानि, जीवन की सुविधाओं से वंचित होने के कारण रु.50,000/- की क्षति हुई है तथा उसने अपने उपचार पर रु.1,00,000/- व्यय किए हैं। इसके अतिरिक्त, भविष्य में उसके उपचार पर रु.4,00,000/- का चिकित्सीय व्यय होने की भी संभावना है। इस प्रकार, वादी को कुल मिलाकर रु.15,80,000/- की क्षति हुई है, किन्तु उसने अपना दावा रु.6,80,000/- तक सीमित रखते हुए, उस पर ब्याज सहित प्रतिकर की मांग की है। यह भी अभिकथित किया गया कि प्रतिवादी को उक्त दुर्घटना की समुचित जानकारी थी, क्योंकि इसका समाचार दिनांक 03.01.2007 के दैनिक समाचार-पत्र 'दैनिक जागरण' में प्रकाशित हुआ था तथा इसकी सूचना प्रतिवादी के साथ-साथ राज्य सरकार को भी प्रदान की गई थी। तथापि, प्रतिवादी द्वारा वादी को किसी प्रकार का प्रतिकर अदा नहीं किया गया।

4. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, वादी ने निम्नलिखित अनुतोषों की प्रार्थना की:-

"क. वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरुद्ध रु.6,80,000/- (रुपये छह लाख अस्सी हजार मात्र) की धनराशि की वसूली के लिए, वाद लंबित रहने की अवधि (Pendente Lite) तथा भविष्य के लिए 24% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित डिक्री पारित की जाए।

ख. वाद की परिस्थितियों में इस न्यायालय को जो भी अन्य अथवा अधिक धनराशि न्यायसंगत एवं उपयुक्त प्रतीत हो, वह भी प्रतिवादी के विरुद्ध वादी को प्रदान की जाए।

ग. वाद का व्यय भी प्रतिवादी से वसूल करते हुए वादी के पक्ष में प्रदान किया जाए।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्रतिवादी का लिखित कथन

5. प्रतिवादी यू.पी. स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने विचारण न्यायालय के समक्ष अपना लिखित कथन संख्या 20-ए प्रस्तुत किया, जिसमें वादपत्र में किए गए अभिकथनों का खंडन किया गया। यह अभिकथित किया गया कि कथित घटना दिनांक 02.01.2007 के संबंध में प्रतिवादी अथवा उसके अधिकारियों या कर्मचारियों को कोई शिकायत/प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था। यह भी अभिकथित किया गया कि वादी के कथनानुसार कोई उच्च-दाब विद्युत लाइन कभी नहीं टूटी थी और न ही उच्च-दाब विद्युत लाइन के अनुरक्षण में प्रतिवादी की कोई लापरवाही थी। यह भी अभिकथित किया गया कि यदि कोई उच्च-दाब विद्युत लाइन टूट जाती है, तो विद्युत आपूर्ति स्वतः बंद हो जाती है; अतः वादी का यह कथन कि उसे टूटी हुई विद्युत लाइन से विद्युताघात लगा, असत्य है। यह भी अभिकथित किया गया कि कथित दुर्घटना किसी अन्य कारण से हुई थी, जिसके लिए प्रतिवादी वादी को किसी प्रकार का प्रतिकर देने हेतु उत्तरदायी नहीं है। यह भी अभिकथित किया गया कि वादी ने अपने उपचार तथा चोट संबंधी रिपोर्ट का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि कथित दुर्घटना में लगी चोटों के कारण उसे कोई स्थायी दिव्यांगता हुई है। यह भी अभिकथित किया गया कि प्रतिवादी द्वारा उच्च-दाब विद्युत लाइन का नियमित गश्ती निरीक्षण (Patrolling) किया जाता था और यदि कोई दोष पाया जाता था, तो उसका तत्काल निवारण कर दिया जाता था। यह भी अभिकथित किया गया कि वादी प्रतिवादी से किसी प्रकार का प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

6. यह भी अभिकथित किया गया कि वादी ने प्रतिकर प्राप्त करने के लिए दिनांक 21.01.2008 को कलेक्टर, पीलीभीत के समक्ष एक दावा प्रस्तुत किया था, जो वाद संख्या 11/2008-09 के रूप में पंजीकृत हुआ था, किन्तु इस तथ्य का वादपत्र में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अतः वादी दो भिन्न न्यायालयों से प्रतिकर का दावा नहीं कर सकता। यह भी अभिकथित किया गया कि कलेक्टर, पीलीभीत के समक्ष प्रस्तुत वाद में वादी ने दुर्घटना के घटित होने का जो विवरण दिया है, वह वादपत्र में वर्णित विवरण से भिन्न है, जिससे यह भी स्पष्ट होता है कि कथित दुर्घटना संदेहास्पद है। यह स्वीकार किया गया कि उपभोक्ता/वादी का विद्युत संयोजन संख्या 4121/307035, शेरपुर फीडर पर स्थित 11 के.वी. सिमरिया टी-ऑफ (Simaria T-Off) के अधीन है। यह भी अभिकथित किया गया कि कथित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दुर्घटना मनगढ़ंत एवं कूटरचित है तथा ऐसी कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई। अंत में यह अभिकथित किया गया कि यदि यह सिद्ध भी हो जाए कि कथित दुर्घटना वास्तव में घटित हुई थी, तब भी वादी कथित स्थायी दिव्यांगता के कारण अनुग्रह राशि (Ex-gratia) के रूप में अधिकतम रु.50,000/- प्राप्त करने का ही अधिकारी होगा।

विरचित मुद्दे

7. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित मुद्दे विरचित किए गए:-

"(i) क्या दिनांक 02.01.2007 को लगभग 1:30 बजे दोपहर, कस्बा एवं थाना पूरनपुर, जनपद पीलीभीत के अंतर्गत, विपक्षी पक्ष के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण एक उच्च वोल्टेज विद्युत तार टूटकर वादी के ऊपर गिर गया, जिसके कारण वादी को 65 प्रतिशत घातक विद्युत-दग्ध चोटें आईं और वह स्थायी रूप से दिव्यांग हो गया?

(ii) क्या वादी प्रतिवादी से रु.6,80,000/- अथवा कोई अन्य प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी है?

(iii) क्या वादी प्रतिवादी से किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है?"

पक्षकारों के दस्तावेजी साक्ष्य

8. वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में वाद संख्या 11/2008-09 में कलेक्टर, पीलीभीत द्वारा पारित दिनांक 20.06.2011 के आदेश की प्रमाणित प्रति (प्रदर्श-1) प्रस्तुत की। इसके अतिरिक्त, उसने अपने द्वारा क्रय की गई औषधियों के मूल कैश मेमो, रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, बरेली द्वारा जारी डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र की छायाप्रति, दिनांक 12.09.2007 के स्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की छायाप्रति, जिसमें 65% स्थायी दिव्यांगता अंकित थी, भारत रश्मि नर्सिंग होम द्वारा दिनांक 19.02.2007 को जारी मूल डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र तथा दैनिक समाचार-पत्र दैनिक जागरण के दिनांक 03.01.2007 के अंश की छायाप्रति प्रस्तुत की, जिसमें यह अंकित था कि दुर्घटना दिनांक 02.01.2007 को घटित हुई थी।

9. वादी का परीक्षण दिनांक 02.01.2007 को अपराह्न 1:30 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पूरनपुर में किया गया और उसकी चोट रिपोर्ट में निम्नलिखित चोटें अंकित की गईं:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"(i) चेहरे एवं ठोड़ी पर 14 x 11 सेमी. आकार का विद्युत-दग्ध घाव, जो त्वचा तक गहरा था।

(ii) गर्दन के सामने वाले भाग पर 12 x 5 सेमी. आकार का विद्युत-दग्ध घाव, जो हड्डी तक गहरा था और दाहिनी ओर तक फैला हुआ था।

(iii) दाहिने हाथ के पिछले भाग एवं कलाई के जोड़ पर 13 x 6 सेमी. आकार का विद्युत-दग्ध घाव, जो हड्डी तक गहरा था तथा कलाई के जोड़ की गति सामान्य थी।

(iv) बाएँ हाथ के पिछले भाग पर 20 x 8 सेमी. आकार का विद्युत-दग्ध घाव, जो हड्डी तक गहरा था, जिसमें कलाई के जोड़ की गति सामान्य थी तथा पीड़ादायक थी।

(v) दाहिने पैर के बड़े अंगूठे पर 3 x 2 सेमी. आकार का विद्युत-दग्ध घाव, जो हड्डी तक गहरा था, जिसमें गति पूर्ण थी तथा पीड़ादायक थी।

(vi) बाईं जांघ के सामने वाले भाग पर 25 x 8 सेमी. आकार का विद्युत-दग्ध घाव, जो मांसपेशी तक गहरा था।

राय: सभी चोटें विद्युताघात के कारण हुई प्रकृति की हैं। विशेषज्ञ शल्य चिकित्सा उपचार हेतु जिला चिकित्सालय, पीलीभीत संदर्भित किया गया। चोटों की अवधि ताजी है। प्राथमिक उपचार प्रदान किया गया।"

10. प्रतिवादी द्वारा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

पक्षकारों का मौखिक साक्ष्य

11. वादी मोहम्मद निसार @ बड़े लल्ला ने स्वयं को पीडब्ल्यू-1 के रूप में, मोहम्मद इकबाल को पीडब्ल्यू-2 के रूप में तथा डॉ. भरत सेठी को पीडब्ल्यू-3 के रूप में परीक्षित कराया, जबकि प्रतिवादी ने अपने लाइनमैन रामपाल को डीडब्ल्यू-1 तथा पेट्रोलमैन अखिलेश मिश्रा को डीडब्ल्यू-2 के रूप में परीक्षित कराया।

12. वादी मोहम्मद निसार @ बड़े लल्ला (पीडब्ल्यू-1) ने अपने मुख्य परीक्षण (Examination-in-Chief) में वादपत्र में किए गए कथनों का समर्थन किया तथा विचारण न्यायालय के समक्ष अपने द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को भी सिद्ध किया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

13. पीडब्ल्यू-1 मोहम्मद निसार @ बड़े लल्ला ने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि उसने घटना के संबंध में न तो कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी और न ही उच्च अधिकारियों से कोई शिकायत की थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि विद्युत विभाग को कोई नोटिस नहीं दिया गया था। उसने बयान दिया कि वह राजमिस्त्री का कार्य करता था। वह अपने घर के सामने स्थित सड़क पर खड़ा था, जो उसके घर से सटी हुई थी तथा 14 फीट चौड़ी थी। उसने बताया कि दुर्घटना के समय सड़क पर लोगों का आवागमन नहीं हो रहा था, बल्कि लोग दुकान पर बैठे हुए थे। उसने बयान दिया कि उसके घर की ओर आने वाला विद्युत तार दोपहर 12:00 से 01:00 बजे के बीच टूट गया था, जो उसके सीने और हाथ पर गिरा था तथा उसमें 11,000 वोल्ट का विद्युत प्रवाह था। उसने बताया कि उसे होश पीलीभीत में आया। उसे यह जानकारी नहीं थी कि उसे पीलीभीत कौन लेकर गया था। पीलीभीत में उसे एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ वह 3-4 दिनों तक भर्ती रहा। उसने आगे बताया कि दुर्घटना के 3-4 दिन बाद उसे होश आया, उस समय वह डॉ. भरत सेठी के अस्पताल में भर्ती था, जहाँ वह 30-35 दिनों तक भर्ती रहा। उसने अपने उपचार से संबंधित जो चिकित्सा बिल दाखिल किए हैं, वे कंप्यूटर से जनित हैं तथा उन पर किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं। उसने आगे बताया कि उसके उपचार के दौरान दवाइयाँ उसके पिता द्वारा खरीदी गई थीं। उसने यह भी बताया कि दिव्यांगता प्रमाण-पत्र उसी ने बनवाया था। उसने आगे बताया कि लगभग एक से डेढ़ वर्ष पूर्व वह अपने गले में छेद होने के कारण उपचार हेतु बरेली रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज, बरेली गया था। उसने इस सुझाव का खंडन किया कि उसके घर के सामने 11,000 वोल्ट की उच्चदाब विद्युत लाइन नहीं गुजरती थी अथवा वह टूटी नहीं थी। उसने इस सुझाव का भी खंडन किया कि वह अपने घर पर विद्युत चोरी कर रहा था, जिसके दौरान उसे विद्युत करंट लगा। उसने इस सुझाव का भी खंडन किया कि उसके द्वारा दाखिल किए गए उपचार संबंधी सभी बिल जाली हैं। उसने इस सुझाव का भी खंडन किया कि उसने प्रतिवादी से प्रतिकर प्राप्त करने के उद्देश्य से यह मिथ्या वाद प्रस्तुत किया है।

14. पीडब्ल्यू-2 मोहम्मद इकबाल ने अपने मुख्य परीक्षण (Examination-in-Chief) में बयान दिया कि उसके मामा का घर मोहल्ला अहमद नगर में वादी के घर से दो मकान छोड़कर स्थित है, जहाँ उसका प्रायः आना-जाना रहता था। दिनांक 02.01.2007 को जब वह

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अपने मामा के घर पर था, तभी लगभग दोपहर 1:00 से 1:30 बजे के बीच उसे अचानक शोर-शराबा सुनाई दिया, जिस पर वह घर के बाहर आया और देखा कि वादी मोहम्मद निसार सड़क पर गंभीर रूप से झुलसी हुई अवस्था में पड़ा हुआ था तथा उसके ऊपर टूटा हुआ विद्युत तार पड़ा हुआ था। उसने आगे बयान दिया कि वादी मोहम्मद निसार का बायाँ हाथ और गर्दन बुरी तरह झुलस गए थे तथा वह अचेत अवस्था में था। आसपास के लोगों द्वारा उसे सरकारी अस्पताल, पूरनपुर ले जाया गया और वहाँ से उसे भारत रश्मि नर्सिंग होम, पीलीभीत ले जाया गया, जहाँ उसका जीवन बचाने के लिए उसका बायाँ हाथ काटना पड़ा। उसने आगे बयान दिया कि मोहम्मद निसार एक मजदूर था, जो प्रतिदिन लगभग ₹150/- से ₹200/- तक कमाता था, किन्तु दुर्घटना के पश्चात उसका एक हाथ कट जाने तथा उसके गले में छेद हो जाने के कारण वह कोई भी कार्य करने में असमर्थ है। उसने आगे बयान दिया कि वादी के परिवार में उसकी माता, तीन बहनें तथा पाँच छोटे भाई हैं, जिनमें वादी सबसे बड़ा है, और दुर्घटना के लगभग दो माह बाद सदमे के कारण वादी के पिता की भी मृत्यु हो गई। उसने आगे बयान दिया कि यह घटना इसलिए हुई क्योंकि प्रतिवादी द्वारा विद्युत लाइनों का समुचित अनुरक्षण एवं मरम्मत नहीं की गई थी, जिसके लिए प्रतिवादी पूर्णतः उत्तरदायी है।

15. पीडब्ल्यू-2 मोहम्मद इकबाल ने अपनी जिरह में बयान दिया कि वह प्रतिदिन प्रातः 8:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक मजदूरी का कार्य करता था। उसने बताया कि वह न तो वादी का कोई रिश्तेदार है और न ही उसका वादी के घर पर आना-जाना था। उसने आगे बयान दिया कि उसने घटना से पूर्व कथित घटनास्थल पर विद्युत लाइन को टूटी हुई अवस्था में नहीं देखा था और न ही उसने विद्युत लाइन को टूटते हुए देखा था, किन्तु उसने बताया कि वह और वादी साथ-साथ मजदूरी का कार्य करते थे तथा लगभग पाँच वर्ष पूर्व वे मजदूरी से प्रतिदिन ₹100/- कमाते थे। उसने आगे बताया कि उच्चदाब (High Tension) का अर्थ वह विद्युत लाइन है जिसमें 11,000 वोल्ट का विद्युत प्रवाह होता है। उसने इस सुझाव का खंडन किया कि चूँकि वह वादी के साथ कार्य करता था, इसलिए वह झूठी गवाही दे रहा है। उसने इस सुझाव का भी खंडन किया कि वह वादी के साथ पूरनपुर अस्पताल नहीं गया था। उसने आगे बताया कि वादी के उपचार का खर्च उसके मोहल्ले के सभी निवासियों द्वारा किए

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गए सहयोग से वहन किया गया। उसने आगे बताया कि लगभग 5-6 व्यक्ति वादी को पूरनपुर अस्पताल ले गए थे, जहाँ उसका उपचार कराया गया।

16. डॉ. भरत सेठी को पीडब्ल्यू-3 के रूप में परीक्षित किया गया, जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षण (Examination-in-Chief) में बयान दिया कि वह एम.बी.बी.एस. हैं तथा उन्होंने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, लखनऊ से अस्थि रोग (ऑर्थोपेडिक्स) विषय में एम.एस. की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने आगे बयान दिया कि वर्ष 1998 से वह पीलीभीत में अपना नर्सिंग होम संचालित कर रहे हैं तथा उन्होंने मोहम्मद निसार का उपचार किया था, जिसे विद्युत करंट से झुलसने के कारण उसके बाएँ हाथ में चोट आई थी, जिसके परिणामस्वरूप गैंग्रीन हो गया था और उसका हाथ काटने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं था। यदि उसका हाथ न काटा जाता, तो विष पूरे शरीर में फैल जाता। उन्होंने बयान दिया कि वादी मोहम्मद निसार दिनांक 09.01.2007 से 19.02.2007 तक उनके नर्सिंग होम में भर्ती रहा तथा इस अवधि के दौरान वादी का हाथ काटा गया। उन्होंने आगे बयान दिया कि डायमंड मेडिकोस उनके नर्सिंग होम में स्थित एक दवा की दुकान है, जिसने उनके द्वारा लिखे गए पर्चे के आधार पर वादी को दवाइयाँ उपलब्ध कराई थीं। इस साक्षी ने डायमंड मेडिकोस द्वारा जारी मूल नकद रसीदों (कैश मेमो), जो अभिलेख पर पत्र संख्या C-34/1 से C-34/41 के रूप में उपलब्ध हैं तथा कंप्यूटर से जनित हैं, को सिद्ध किया। उन्होंने आगे बयान दिया कि अभिलेख पर पत्र संख्या C-60 के रूप में उपलब्ध डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र उनके द्वारा जारी किया गया था तथा वह उनके हस्तलेख में लिखा हुआ है।

17. पीडब्ल्यू-3 डॉ. भरत सेठी ने अपनी जिरह में बयान दिया कि वह न तो अस्थि विशेषज्ञ (Bone Specialist) हैं और न ही जलन (Burn Injury) के विशेषज्ञ हैं, किन्तु उन्होंने पुनः स्पष्ट किया कि वह अस्थि रोग विशेषज्ञ (Orthopedist) हैं। उन्होंने आगे बताया कि डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र, पत्र संख्या C-60 में उन्होंने वादी को उपचार कराने की सलाह दी है। उन्होंने यह स्वीकार किया कि किसी भी कारण से घाव में गैंग्रीन हो सकता है। उन्होंने आगे बताया कि वादी जिला चिकित्सालय से छुट्टी मिलने के पश्चात उनके नर्सिंग होम में आया था।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

18. प्रतिवादी ने पूरनपुर उपकेंद्र के लाइनमैन रामपाल को डीडब्ल्यू-1 के रूप में परीक्षित कराया, जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षण (Examination-in-Chief) में बयान दिया कि दिनांक 02.01.2007 को प्रतिवादी की विद्युत लाइन पूर्णतः सही स्थिति में थी, विद्युत आपूर्ति में कोई दोष नहीं था तथा किसी भी विद्युत लाइन के टूटने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी। उन्होंने बयान दिया कि जब भी मुख्य विद्युत लाइन टूटती है, तब विद्युत प्रवाह स्वतः बंद हो जाता है। उन्होंने आगे बयान दिया कि कथित दुर्घटनास्थल के निकट कोई उच्चदाब (High Tension) विद्युत लाइन नहीं थी और न ही दुर्घटना विद्युत तार के टूटने के कारण हुई थी, बल्कि वह किसी अन्य कारण से हुई थी, जिसके लिए प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं है। उन्होंने आगे बयान दिया कि वह पेशे से लाइनमैन हैं, जिनका कार्य विद्युत लाइनों का अनुरक्षण करना है। उन्होंने आगे बयान दिया कि कथित दुर्घटना में प्रतिवादी की कोई लापरवाही नहीं थी, क्योंकि दुर्घटना विद्युत लाइन के टूटने के कारण नहीं हुई थी तथा कथित दुर्घटना घटित होने के बाद भी उसकी कोई लिखित सूचना प्रतिवादी को प्राप्त नहीं हुई थी। यह भी बयान दिया गया कि वादी ने दुर्भावनापूर्ण आशय से वर्तमान वाद संस्थित किया है। उन्होंने आगे बयान दिया कि कथित दुर्घटना उच्चदाब विद्युत लाइन के कारण नहीं हुई थी, क्योंकि दुर्घटनास्थल पर ऐसी कोई लाइन मौजूद नहीं थी और यहाँ तक कि निम्नदाब (Low Tension) विद्युत लाइन भी कथित दुर्घटनास्थल से कुछ दूरी पर स्थित थी।

19. डीडब्ल्यू-1 रामपाल ने अपनी जिरह में बयान दिया कि वह नियमित रूप से विद्युत लाइन का निरीक्षण करता था। उसने आगे बयान दिया कि उच्चदाब (High Tension) विद्युत लाइन में वोल्टेज 11,000 वोल्ट या उससे अधिक होता है तथा निम्नदाब (Low Tension) विद्युत लाइन में वोल्टेज 440 अथवा 220 वोल्ट होता है। उसने यह स्वीकार किया कि पूरनपुर स्थित कथित दुर्घटनास्थल पर एक उच्चदाब विद्युत लाइन थी। उसने आगे यह भी स्वीकार किया कि एक मूवमेंट रजिस्टर संधारित किया जाता है, जिसमें यह अंकित किया जाता है कि विद्युत लाइन का निरीक्षण कब किया गया, किन्तु वर्ष 2007 में भारी वर्षा के कारण वह रजिस्टर क्षतिग्रस्त हो गया था, इसलिए वह उपलब्ध नहीं था। उसने यह स्वीकार किया कि उस समय अखिलेश मिश्रा पेट्रोलमैन था तथा उसने वादी का मकान देखा है, जो मोहल्ला अहमद नगर, कस्बा पूरनपुर में स्थित है। उसने यह भी स्वीकार किया कि कथित दुर्घटना के समय पूरनपुर से शेरपुर तक एक उच्चदाब विद्युत लाइन गुजरती थी तथा दोनों के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

बीच की दूरी लगभग चार किलोमीटर थी, जो एक ग्रामीण विद्युत फीडर है। उसने आगे बताया कि यदि नगर क्षेत्र की सीमा के भीतर उच्चदाब विद्युत लाइन टूट जाती है, तो विद्युत प्रवाह स्वतः बंद हो जाता है। उसने इस सुझाव का खंडन किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में उच्चदाब विद्युत लाइन टूटने पर विद्युत प्रवाह स्वतः बंद नहीं होता है। उसने इस सुझाव का भी खंडन किया कि वादी का घर उच्चदाब विद्युत लाइन के नीचे स्थित है तथा विद्युत लाइन के टूटकर उसके ऊपर गिरने से वादी को चोटें आई थीं। उसने इस सुझाव का भी खंडन किया कि उच्चदाब विद्युत लाइन टूट गई थी और उसकी मरम्मत प्रतिवादी द्वारा कराई गई थी।

20. प्रतिवादी ने अपने पेट्रोलमैन अखिलेश मिश्रा को डीडब्ल्यू-2 के रूप में परीक्षित कराया, जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षण (Examination-in-Chief) में बयान दिया कि कथित दुर्घटना के समय वह पूरनपुर में पेट्रोलमैन के पद पर कार्यरत थे, किन्तु दिनांक 02.01.2007 को अथवा उससे पूर्व प्रतिवादी को विद्युत लाइन में किसी दोष अथवा लाइन के टूटने संबंधी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी तथा कथित दुर्घटना के पश्चात भी इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने आगे बयान दिया कि गश्त (Patrolling) के दौरान विद्युत लाइन में कभी कोई दोष नहीं पाया गया। उन्होंने आगे बयान दिया कि यदि कोई विद्युत लाइन टूट जाती है, तो वह स्वतः ही विद्युतविहीन (Dead) हो जाती है। उन्होंने आगे बयान दिया कि कथित दुर्घटना विद्युत लाइन में किसी दोष के कारण नहीं हुई थी, क्योंकि कथित दुर्घटनास्थल के निकट कोई उच्चदाब (High Tension) विद्युत लाइन स्थित नहीं थी तथा निम्नदाब (Low Tension) विद्युत लाइन काफी दूरी पर थी। उन्होंने आगे बयान दिया कि कथित दुर्घटना में प्रतिवादी अथवा उसके कर्मचारियों की कोई लापरवाही नहीं थी और दुर्घटना वादी की अपनी ही लापरवाही के कारण हुई थी, जिसके लिए केवल वही उत्तरदायी है।

21. डीडब्ल्यू-2 अखिलेश मिश्रा ने अपनी जिरह में बयान दिया कि पूरनपुर नगर में अनेक उच्चदाब (High Tension) विद्युत लाइनें हैं, जो शेरपुर तथा शाहगढ़ की ओर जाती हैं। उन्होंने यह स्वीकार किया कि मोहल्ला अहमद नगर में उच्चदाब विद्युत लाइन स्थापित होने के पश्चात कुछ व्यक्तियों ने उसके नीचे अपने मकान बना लिए हैं। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि समय-समय पर उच्चदाब विद्युत लाइन में दोष उत्पन्न होते रहते हैं तथा शिकायत प्राप्त होने पर उस दोष का तत्काल निवारण कर दिया जाता है, जिसकी प्रविष्टि मूवमेंट रजिस्टर में की जाती है। यह साक्षी यह स्मरण नहीं कर सका कि वर्ष 2006-07 में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उच्चदाब विद्युत लाइन में दोष अथवा विद्युत लाइन के टूटने संबंधी शिकायतें कितनी बार प्राप्त हुई थीं तथा उन्हें दूर करने के लिए वह कितनी बार गया था। इस साक्षी ने बयान दिया कि मूवमेंट रजिस्टर का अवलोकन किए बिना इस प्रश्न का उत्तर देना संभव नहीं है, जो प्रतिवादी के अधिकारियों के पास रहता है।

विचारण न्यायालय का तर्क-विवेचन

22. विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध उपर्युक्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों पर विचार करने के उपरांत यह निष्कर्ष निकाला कि दिनांक 02.01.2007 को दुर्घटना उस समय हुई, जब एक उच्चदाब (High Tension) विद्युत लाइन टूटकर अचानक वादी के ऊपर गिर गई, जिसके परिणामस्वरूप वह गंभीर रूप से विद्युत करंट से झुलस गया। फलस्वरूप उसके बाएँ हाथ में गेंगीन हो गया, जिसके कारण उसका हाथ काटना पड़ा तथा इस प्रकार उसे 65% स्थायी दिव्यांगता हुई। विचारण न्यायालय ने यह भी विचार किया कि जिलाधिकारी, पीलीभीत ने अपने आदेश दिनांक 20.06.2011 द्वारा Public Liability Insurance Act, 1991 के अंतर्गत वादी के दावे को अनुमन्य करते हुए उसे ₹12,500/- का प्रतिकर प्रदान किया था, जिसके विरुद्ध प्रतिवादी द्वारा कोई अपील दाखिल कर उसे चुनौती नहीं दी गई। विचारण न्यायालय ने डीडब्ल्यू-1 तथा डीडब्ल्यू-2 के उस साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वादी द्वारा कथित प्रकार की कोई दुर्घटना हुई ही नहीं थी। विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि वादी ने अपने उपचार पर ₹1,00,000/- से अधिक व्यय किया है और तदनुसार चिकित्सा व्यय के रूप में ₹1,00,000/- की धनराशि प्रदान की। विचारण न्यायालय ने पीड़ा, कष्ट एवं विशेष आहार के लिए ₹50,000/- की धनराशि भी प्रदान की। विचारण न्यायालय ने यह भी विचार किया कि गेंगीन के कारण वादी का बायाँ हाथ काटना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप दिव्यांगता प्रमाण-पत्र के अनुसार उसे 65% स्थायी दिव्यांगता हुई। न्यायालय ने यह भी माना कि दुर्घटना के समय वादी एक मजदूर था, जो प्रतिदिन कम-से-कम ₹200/- अर्जित करता था, तथा यह मानते हुए कि हाथ काटे जाने के कारण उसकी आय अर्जित करने की क्षमता में 50% की कमी आई है, स्थायी दिव्यांगता के कारण आय की हानि के लिए ₹2,50,000/- का प्रतिकर निर्धारित किया। इस प्रकार विचारण न्यायालय ने वादी को कुल ₹4,00,000/- (₹1,00,000/- + ₹50,000/- + ₹2,50,000/-) का प्रतिकर प्रदान किया, जिसमें से जिलाधिकारी द्वारा प्रदान

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

की गई ₹12,500/- की धनराशि समायोजित की गई तथा समायोजन के उपरांत प्रतिवादी को निर्देशित किया कि वह वादी को ₹3,87,500/- की धनराशि वाद लंबित रहने की अवधि (Pendente Lite) तथा भविष्य के लिए 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित अदा करे। उक्त निर्णय से व्यथित होकर प्रतिवादी ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के अंतर्गत वर्तमान अपील दाखिल की है।

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रस्तुतियाँ

23. प्रतिवादी-अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शिवम यादव ने प्रस्तुत किया कि वादी द्वारा यह सिद्ध करने हेतु कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया कि कथित दुर्घटना दिनांक 02.01.2007 को हुई थी। आगे प्रस्तुत किया गया कि यह भार वादी पर था कि वह सिद्ध करे कि प्रतिवादी की सजीव (Live) उच्चदाब विद्युत लाइन टूटकर उसके ऊपर गिर गई थी तथा उसी के कारण उसे विद्युत करंट लगा था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि यदि कोई उच्चदाब विद्युत लाइन टूट जाती है, तो विद्युत आपूर्ति स्वतः बंद हो जाती है, अतः ऐसी स्थिति में विद्युत करंट लगने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता, किन्तु विचारण न्यायालय ने इसके विपरीत निष्कर्ष अभिलिखित किया है। आगे प्रस्तुत किया गया कि वादी पर यह भार था कि वह अपने उपचार पर हुए व्यय को चिकित्सकों के मूल पर्चे, खरीदी गई दवाइयों के मूल नकद रसीदों (कैश मेमो) तथा दुर्घटना के कारण हुई स्थायी दिव्यांगता को सिद्ध करने वाले साक्ष्य प्रस्तुत करके प्रमाणित करे, किन्तु वह ऐसा सिद्ध नहीं कर सका, फिर भी विचारण न्यायालय ने इसके विपरीत निष्कर्ष अभिलिखित किया है। आगे प्रस्तुत किया गया कि वादी के लिए यह सिद्ध करना आवश्यक था कि दुर्घटना प्रतिवादी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हुई, जिन्होंने उच्चदाब विद्युत लाइन का समुचित अनुरक्षण एवं मरम्मत नहीं की, किन्तु वादी इस भार का निर्वहन करने में असफल रहा, फिर भी विचारण न्यायालय ने इसके विपरीत निष्कर्ष अभिलिखित किया है। आगे प्रस्तुत किया गया कि वादी का बायाँ हाथ गैंग्रीन के कारण काटा गया था, जो कथित चोटों के कारण नहीं हुआ था, बल्कि वादी तथा उसके चिकित्सकों द्वारा उपचार में बरती गई लापरवाही के कारण हुआ था, जिसके लिए प्रतिवादी उत्तरदायी नहीं है। आगे प्रस्तुत किया गया कि वादपत्र में दुर्घटना जिस प्रकार से घटित होना दर्शाया गया है, वह जिलाधिकारी, पीलीभीत के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण से पूर्णतः भिन्न है, अतः वादी का संपूर्ण प्रकरण संदेहास्पद हो जाता है, जिसे

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



केवल इसी आधार पर अस्वीकार किया जाना चाहिए था, किन्तु विचारण न्यायालय ने इस विरोधाभास की उपेक्षा करते हुए वादी का वाद डिक्री कर दिया। आगे प्रस्तुत किया गया कि यदि यह न्यायालय इस मत का हो कि वादी दुर्घटना को सिद्ध करने में सफल रहा है, तब भी विचारण न्यायालय द्वारा वादी को प्रदान किया गया प्रतिकर अत्यधिक है, जिसकी इस वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों में कोई आवश्यकता अथवा औचित्य नहीं था। इन प्रस्तुतियों के साथ यह प्रार्थना की गई कि अपील को अनुमन्य किया जाए तथा वादी के वाद को निरस्त किया जाए।

24. वादी-प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

25. मैंने प्रतिवादी-अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा विचारण न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया।

इस न्यायालय के समक्ष निर्धारण हेतु मुद्दे

26. इस अपील में निम्नलिखित मुद्दे निर्धारण हेतु उत्पन्न होते हैं:-

"(i) क्या वादी को प्रतिवादी की उच्चदाब (High Tension) विद्युत लाइन से विद्युत करंट लगने के कारण चोटें आई थीं?

(ii) क्या वादी के बाएँ हाथ में कोहनी के नीचे हुए गेंगीन तथा उसके परिणामस्वरूप हाथ काटे जाने का संबंध वादी द्वारा झोली गई विद्युत करंट से लगी चोटों से था?

(iii) क्या वादी के लिए यह सिद्ध करना आवश्यक था कि प्रतिवादी के कर्मचारियों द्वारा लापरवाही की गई थी?

(iv) क्या विचारण न्यायालय ने वादी को अत्यधिक प्रतिकर प्रदान किया है?"

इस न्यायालय का निष्कर्ष

27. शीर्ष न्यायालय ने Parvati Devi and Others vs. Commissioner of Police, Delhi and others (2000) 3 SCC 754 के वाद में निम्नानुसार निर्णय दिया है:-

"2. अपीलकर्ताओं ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिकर का दावा करते हुए याचिका दायर की थी, क्योंकि अपीलकर्ता संख्या-1 के पति की सड़क पर चलते समय विद्युत करंट

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



लगने से मृत्यु हो गई थी। यह तथ्य कि मृत्यु विद्युत आघात (Electric Shock) के कारण हुई थी, कोलकाता स्थित CFSL की रिपोर्ट से सिद्ध हो जाता है। किन्तु चूँकि अपीलकर्ता प्राधिकरण के किसी विशेष अधिकारी की लापरवाही को इंगित करने वाली प्रासंगिक सामग्री प्रस्तुत नहीं कर सके, इसलिए उच्च न्यायालय ने प्रतिकर प्रदान करने से इंकार कर दिया। उक्त आदेश के विरुद्ध वर्तमान अपील दायर की गई है। एक बार यह स्थापित हो जाने पर कि सड़क पर चलते समय विद्युत करंट लगने के कारण मृत्यु हुई थी, तो अनिवार्यतः संबंधित प्राधिकरणों को लापरवाह माना जाएगा, और इसलिए वर्तमान वाद में प्रश्नगत मृत्यु के लिए एन.डी.एम.सी. (NDMC) उत्तरदायी होगी। अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि मृतक The Statesman में मशीनमैन के रूप में कार्यरत था तथा मृत्यु की तिथि को उसकी आयु 54 वर्ष थी और सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष थी। इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए हम निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ताओं, जो मृतक के विधिक उत्तराधिकारी हैं, को ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) का प्रतिकर प्रदान किया जाए तथा एन.डी.एम.सी. उक्त राशि का भुगतान आज से तीन माह के भीतर करे, अन्यथा उस पर 12% की दर से ब्याज देय होगा। यह राशि मृतक के विधिक उत्तराधिकारियों को देय प्रतिकर की पूर्ण एवं अंतिम संतुष्टि मानी जाएगी।"

(बल दिया गया)

28. शीर्ष न्यायालय ने एम.पी. विद्युत मंडल बनाम शैल कुमारी (2002) 2 एस.सी.सी. 162 के वाद में, विद्युत करंट लगने के कारण हुई मृत्यु के प्रकरण में पूर्ण दायित्व (स्ट्रिक्ट लायबिलिटी) के सिद्धांत की व्याख्या करते हुए निम्नानुसार निर्णय दिया:-

"7. यह निर्विवाद तथ्य है कि संबंधित क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करने का दायित्व विधि द्वारा विद्युत मंडल को सौंपा गया था। यदि इस प्रकार प्रेषित की गई विद्युत ऊर्जा के कारण किसी ऐसे व्यक्ति को, जो अनजाने में उसके संपर्क में आ जाए, चोट पहुँचती है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो पीड़ित को प्रतिकर देने का प्राथमिक दायित्व विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति करने वाले का होता है। जब तक तारों के माध्यम से प्रवाहित की जाने वाली विद्युत का वोल्टेज स्वभावतः खतरनाक स्तर का है, तब तक उसकी आपूर्ति का प्रबंधन करने वालों का अतिरिक्त दायित्व है कि वे विद्युत ऊर्जा के रिसाव को रोकने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय करें अथवा यह सुनिश्चित करें कि यदि कोई तार टूट जाए, तो वह सड़क पर

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

विद्युत प्रवाहित अवस्था (लाइव) में न रहे, क्योंकि उस सड़क का उपयोग करने वाले लोग गंभीर खतरे में पड़ सकते हैं। विद्युत मंडल के प्रबंधन के लिए यह कोई बचाव नहीं है कि किसी व्यक्ति ने दुर्भावनापूर्वक उस विद्युत ऊर्जा को अपने निजी परिसर तक अवैध रूप से पहुँचाया था और विद्युत करंट उसी परिवर्तित लाइन से लगा था। ऐसी चोरी या अवैध उपयोग को आवश्यक उपकरण स्थापित करके रोकना आपूर्ति प्रणाली का प्रबंधन करने वालों का दायित्व है। किसी भी स्थिति में, यदि कोई विद्युत प्रवाहित (लाइव) तार टूटकर सार्वजनिक सड़क पर गिर जाता है, तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा स्वतः ही बाधित हो जानी चाहिए। ऐसे खतरनाक साधनों का प्रबंधन करने वाले प्राधिकरणों का यह अतिरिक्त दायित्व है कि वे इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी उपाय निर्धारित करें।

8. "यह मान भी लिया जाए कि ऐसे सभी सुरक्षा उपाय अपनाए गए थे, तब भी जो व्यक्ति ऐसी गतिविधि करता है जिसमें मानव जीवन के लिए स्वभावतः खतरनाक अथवा जोखिमपूर्ण स्थिति निहित हो, वह अपकृत्य विधि (Law of Torts) के अंतर्गत किसी अन्य व्यक्ति को हुई क्षति के लिए प्रतिकर देने हेतु उत्तरदायी होगा, चाहे ऐसे उपक्रम के प्रबंधकों की ओर से किसी प्रकार की लापरवाही या असावधानी रही हो अथवा नहीं। ऐसे दायित्व का आधार उस गतिविधि की प्रकृति में निहित पूर्वानुमेय जोखिम (Foreseeable Risk) है। विधि में ऐसे दायित्व को 'पूर्ण दायित्व (Strict Liability)' के नाम से जाना जाता है। यह उस दायित्व से भिन्न है जो लापरवाही अथवा दोष के कारण उत्पन्न होता है। अर्थात्, लापरवाही की अवधारणा यह मानती है कि पूर्वानुमेय क्षति को युक्तिसंगत सावधानियाँ अपनाकर टाला जा सकता था। यदि प्रतिवादी ने क्षति को टालने के लिए वह सब कुछ किया हो जो किया जा सकता था, तो केवल उस पर आरोपित लापरवाही के आधार पर उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। किन्तु पूर्ण दायित्व (Strict Liability) के मामलों में इस प्रकार का विचार प्रासंगिक नहीं होता, क्योंकि ऐसे मामलों में प्रतिवादी इस बात की परवाह किए बिना उत्तरदायी होता है कि क्या वह आवश्यक सावधानियाँ अपनाकर उस विशेष क्षति को टाल सकता था या नहीं।"

29. इस न्यायालय ने श्रीमती सुनीता तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, न्यूट्रल सिटेशन संख्या 2010:एचसी:83628 के वाद में, लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 के

अंतर्गत, जहाँ पूर्ण दायित्व का सिद्धांत लागू होता है, विद्युत को उसकी मात्रा की परवाह किए बिना "परिसंकटमय पदार्थ" के रूप में व्याख्यायित करते हुए निम्नानुसार निर्णय दिया:-

"इस न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड बनाम जिला मजिस्ट्रेट, देहरादून, 1997 यूपीएलबीईसी (2) 1344 के वाद में पूर्व में ही इस प्रश्न पर विचार किया है कि विद्युत 'परिसंकटमय पदार्थ' की परिभाषा के अंतर्गत आती है तथा उसके कारण होने वाली दुर्घटना लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 के प्रावधानों के अंतर्गत आच्छादित होती है। उक्त निर्णय के पैरा 42 से 44 में निहित प्रासंगिक अंश नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:"

"42. अतः, मेरे मत में 1991 के अधिनियम की धारा 2(घ) में परिभाषित 'परिसंकटमय पदार्थ' को केवल उन पदार्थों तक सीमित नहीं माना जा सकता, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया है, बल्कि इसमें वे सभी पदार्थ सम्मिलित हैं, जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत 'परिसंकटमय पदार्थ' की परिभाषा में आते हैं। इसका एकमात्र अपवाद यह है कि यदि ऐसा कोई पदार्थ 1991 के अधिनियम की धारा 2(घ) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित भी किया गया हो, तो वह तभी 'परिसंकटमय पदार्थ' माना जाएगा, जब उसकी मात्रा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट मात्रा से अधिक हो। इस प्रकार, 1991 के अधिनियम की धारा 2(घ) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अधिसूचना केवल पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत परिभाषित 'परिसंकटमय पदार्थ' के दायरे को सीमित कर सकती है; किन्तु जो पदार्थ उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट नहीं हैं, वे भी 1991 के अधिनियम के अंतर्गत 'परिसंकटमय पदार्थ' माने जाएंगे, यदि वे पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में 'परिसंकटमय पदार्थ' की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं।"

43. मैं पूर्व में ही यह स्पष्ट कर चुका हूँ कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत विद्युत 'परिसंकटमय पदार्थ' है। अतः, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता की यह प्रस्तुति कि दिनांक 24.03.1992 की अधिसूचना में सम्मिलित न किए जाने के कारण विद्युत 'परिसंकटमय पदार्थ' नहीं है, अस्वीकार की जाती है।"

"44. 1991 के अधिनियम की धारा 3(2) में निहित पूर्ण दायित्व (दोषरहित दायित्व) का सिद्धांत, 'परिसंकटमय पदार्थ' के कारण होने वाली ऐसी दुर्घटनाओं के मामलों में पूर्ण दायित्व

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अधिरोपित करता है तथा दावेदार के लिए यह अभिकथन करना आवश्यक नहीं है कि मृत्यु अथवा चोट किसी व्यक्ति के गलत अथवा लापरवाहीपूर्ण कृत्य के कारण हुई थी।"

30. इस न्यायालय ने यशपाल सिंह (अवयस्क) बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव (विद्युत) के माध्यम से एवं 5 अन्य, 2017 एससीसी ऑनलाइन इलाहाबाद 1246 के वाद में, जहाँ विद्युत विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा विद्युत आपूर्ति लाइनों का समुचित अनुरक्षण न करने तथा आवश्यक सावधानियाँ न बरतने के कारण विद्युत प्रवाहित (लाइव) तार के संपर्क में आने से मृत्यु हुई थी, निम्नानुसार निर्णय दिया:-

"27. "विद्युत प्राधिकरणों का यह वैधानिक दायित्व है कि वे भारतीय विद्युत अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक सावधानियों एवं सुरक्षा उपायों का पालन करें। ऐसे वैधानिक कर्तव्यों एवं दायित्वों का पालन न करना, जो लापरवाही के समतुल्य है, उपभोक्ता पर कथित वैधानिक दायित्वों का हवाला देकर दूर नहीं किया जा सकता। विद्युत प्रवाहित (लाइव) तार के संपर्क में आने से होने वाली विद्युताघात की घटनाओं में पूर्ण दायित्व का सिद्धांत लागू होता है, जो लापरवाही के कारण उत्पन्न होने वाले दायित्व से भिन्न है, और पूर्ण दायित्व के मामलों में लापरवाही का प्रश्न प्रासंगिक नहीं होता। विद्युत विभाग इस बात से निरपेक्ष होकर उत्तरदायी होगा कि क्या उपभोक्ता अथवा घायल व्यक्ति सावधानी बरतकर उस क्षति से बच सकता था या नहीं।"

31. राजस्थान उच्च न्यायालय ने अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विद्युत भवन, ज्योति नगर, जयपुर एवं अन्य बनाम सोहनी जाट एवं अन्य, 2022 एससीसी ऑनलाइन राज 2265 के वाद में निम्नानुसार निर्णय दिया:-

"13. "इस वाद के तथ्यात्मक परिदृश्य से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादियों द्वारा 11,000 केवी की उच्च वोल्टेज विद्युत लाइन का उचित ऊँचाई पर अनुरक्षण न किए जाने के कारण उनकी ओर से लापरवाही हुई। घटनास्थल पर 11,000 केवी की उच्च वोल्टेज विद्युत लाइन के तार ढीले थे तथा तार टूट गया था, जिसके कारण मृतक के पम्प-सेट में उच्च वोल्टेज विद्युत प्रवाहित हो गई और उसे विद्युताघात लगा, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। एक बार यह स्थापित हो जाने पर कि 11,000 केवी की उच्च वोल्टेज विद्युत लाइन का तार टूट गया था,

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जिसके परिणामस्वरूप मृतक को विद्युताघात लगा, तब पूर्ण दायित्व (Strict Liability) तथा परोक्ष दायित्व (Vicarious Liability) के सिद्धांत लागू हो जाते हैं। ऐसी दुर्घटनाओं से प्रभावित व्यक्तियों को प्रतिकर देने के लिए प्रतिवादी पूर्ण एवं परोक्ष रूप से उत्तरदायी होंगे, भले ही उनकी ओर से कोई व्यक्तिगत दोष न हो, क्योंकि दुर्घटना विभाग की लापरवाही के कारण हुई है।

(बल दिया गया)

32. गुजरात उच्च न्यायालय ने पी.जी.वी.सी.एल. एवं अन्य बनाम देवसिंहभाई अर्जनभाई हडिया एवं अन्य, 2025 एससीसी ऑनलाइन गुजरात 4823 के वाद में निम्नानुसार निर्णय दिया:-

"8. "विद्युताघात के मामलों में लापरवाही प्रायः इस आधार पर स्थापित होती है कि विद्युत बोर्ड अथवा उसके अधिकारियों ने विद्युत अवसंरचना के प्रबंधन में अपेक्षित उच्च स्तर की सावधानी का पालन नहीं किया। उपकरणों की मरम्मत अथवा अनुरक्षण में विफलता, जिसके परिणामस्वरूप विद्युताघात जैसी दुर्घटनाएँ होती हैं, ऐसे मामलों में सामान्यतः पूर्ण दायित्व (Strict Liability) का सिद्धांत लागू होता है, क्योंकि विद्युत को स्वभावतः खतरनाक गतिविधि माना जाता है। विद्युत आपूर्तिकर्ताओं का सर्वोच्च दायित्व है कि वे यह सुनिश्चित करें कि विद्युत लाइनें तथा उपकरण सुरक्षित हों। इसमें समस्त विद्युत अवसंरचना का समुचित स्थापना, अनुरक्षण तथा मरम्मत सम्मिलित है। यदि यह प्रमाणित हो जाए कि इन सावधानी संबंधी दायित्वों का पालन नहीं किया गया, तो यह विद्युत आपूर्तिकर्ता की ओर से लापरवाही मानी जाएगी। "कर्तव्य का उल्लंघन ही प्रत्यक्ष रूप से विद्युताघात का कारण होना चाहिए। उच्च वोल्टेज के टूटे हुए तार, खुले अथवा अनावृत विद्युत तार, खराब अनुरक्षित विद्युत खंभे या अन्य विद्युत अवसंरचना तथा ऐसे स्थानों पर, जहाँ विद्युत संपर्क की संभावना हो, चेतावनी संकेतों जैसे सुरक्षा उपायों का अभाव—ये सभी विद्युत अवसंरचना के प्रति अपेक्षित उच्चतम स्तर की सावधानी न बरतने के उदाहरण हैं। ऐसे कर्तव्य-उल्लंघनों के सिद्ध हो जाने पर पीड़ित अथवा उसके विधिक प्रतिनिधियों को प्रतिकर प्रदान करने का दायित्व उत्पन्न होता है।

9. "अपकृत्य विधि (Law of Torts) में लापरवाही का अर्थ है ऐसी सावधानी के मानक का पालन न करना, जिसका पालन समान परिस्थितियों में एक युक्तिसंगत व्यक्ति करता, और जिसके परिणामस्वरूप किसी अन्य व्यक्ति को हानि अथवा चोट पहुँचती है। लापरवाही सिद्ध अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

करने के लिए आवश्यक तत्व, जैसे वादी के प्रति कर्तव्य, उस कर्तव्य का उल्लंघन, कारणात्मक संबंध तथा क्षति, स्थापित किए जाने आवश्यक हैं। वर्तमान वाद में साक्ष्यों से यह स्पष्ट होता है कि वादियों ने इन चारों तत्वों को सिद्ध कर दिया है तथा अपीलकर्ताओं की मौखिक गवाही उन्हें प्रतिकर के भुगतान हेतु उत्तरदायी ठहराने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है।

33. यह शीर्ष न्यायालय द्वारा पार्वती देवी (उपर्युक्त) तथा शैल कुमारी (उपर्युक्त) के वादों में तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा अन्य वादों में प्रतिपादित विधि से स्पष्ट है कि विद्युत लाइन के टूटने के कारण विद्युताघात होने के मामलों में पूर्ण दायित्व (Strict Liability) का सिद्धांत लागू होता है तथा ऐसे मामलों में प्रतिकर प्राप्त करने के लिए वादी से यह सिद्ध करने की अपेक्षा नहीं की जाती कि विद्युत बोर्ड अथवा विद्युत निगम उच्च वोल्टेज विद्युत लाइनों के अनुरक्षण में लापरवाह था, जिसके कारण बोर्ड/निगम की त्रुटि से वे लाइनें टूट गईं। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि पूर्ण दायित्व के मामलों में प्रतिवादी अथवा उसके सेवकों/कर्मचारियों की लापरवाही सिद्ध करना आवश्यक नहीं होता। वादी को केवल यह सिद्ध करना होता है कि उसकी मृत्यु अथवा उसे लगी चोटें प्रतिवादी की उच्च वोल्टेज विद्युत लाइन से विद्युताघात होने के कारण हुईं।

34. वादी का यह मामला है कि दिनांक 02.01.2007 को लगभग अपराह्न 1:30 बजे, जब वह अपने घर के बाहर एक दुकान के पास खड़ा था, तभी ऊपर से गुजर रही विद्युत प्रवाहित उच्च वोल्टेज विद्युत लाइन का तार अचानक टूटकर उसके ऊपर गिर गया, जिससे उसे विद्युताघात लगा और वह गंभीर रूप से झुलस गया। इसके उपरांत उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.), पूरनपुर ले जाया गया तथा वहाँ से भारत रश्मि नर्सिंग होम, पीलीभीत रेफर किया गया, जहाँ वह भर्ती रहा और उसका जीवन बचाने के लिए उसका बायाँ हाथ काटना पड़ा।

35. वादी ने अपने वादपत्र में स्पष्ट रूप से अभिकथित किया है कि विद्युताघात के कारण उसे गर्दन, गले, छाती, बाएँ हाथ तथा दाएँ हाथ पर जलने की चोटें आईं तथा उसे विद्युत का झटका भी लगा, जिससे उसके मस्तिष्क, स्मरण शक्ति तथा वाणी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। वादी का दावा है कि उक्त दुर्घटना में लगी चोटों के कारण उसे 65% स्थायी दिव्यांगता हुई। वादी का यह भी मामला है कि उक्त दुर्घटना प्रतिवादी की लापरवाही के कारण हुई, जिसने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

उच्च वोल्टेज विद्युत लाइन का समुचित अनुरक्षण नहीं किया, अतः कथित दुर्घटना के लिए प्रतिवादी उत्तरदायी है।

36. वादी ने स्वयं को पीडब्ल्यू-1 के रूप में परीक्षित कराया तथा मुख्य परीक्षण में वादपत्र में किए गए कथनों की पुनरावृत्ति की और विशेष रूप से अभिकथित किया कि दुर्घटना में लगी चोटों के कारण उसका जीवन बचाने हेतु उसका बायाँ हाथ काटना पड़ा। इसके अतिरिक्त, उसके गले तथा गर्दन में भी गंभीर चोटें आईं। वादी ने दिनांक 12.09.2007 का अपना स्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र भी सिद्ध किया, जो मुख्य चिकित्साधिकारी, पीलीभीत द्वारा जारी किया गया था। वादी ने यह भी कथन किया कि श्वास लेने में कठिनाई होने के कारण रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बरेली में उसकी श्वासनली (ट्रेकिया) का ऑपरेशन किया गया, जहाँ वह दिनांक 19.01.2010 से 02.02.2010 तक भर्ती रहा। जिरह के दौरान वादी को यह सुझाव दिया गया कि वह अपने घर में विद्युत चोरी कर रहा था, तभी उसे विद्युताघात लगा। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रतिवादी ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि वादी को विद्युताघात लगा था।

37. वादी पीडब्ल्यू-1 की गवाही की पुष्टि मोहम्मद इकबाल, पीडब्ल्यू-2 द्वारा की गई, जिन्होंने मुख्य परीक्षण में कथन किया कि दिनांक 02.01.2007 को लगभग अपराह्न 1:00 से 1:30 बजे के बीच उन्होंने अपने घर के बाहर शोर-शराबा सुना। इसके बाद वे बाहर आए और देखा कि वादी सड़क पर गंभीर रूप से झुलसी हुई अवस्था में पड़ा था तथा उसके ऊपर एक विद्युत तार पड़ा हुआ था। उन्होंने यह भी कथन किया कि उन्होंने वादी का बायाँ हाथ तथा गर्दन गंभीर रूप से झुलसी हुई देखी और वह अचेत अवस्था में था। इस साक्षी ने आगे कथन किया कि आसपास के लोगों द्वारा वादी को सरकारी अस्पताल, पूरनपुर ले जाया गया तथा वहाँ से उसे भारत रश्मि नर्सिंग होम, पीलीभीत ले जाया गया, जहाँ उसका बायाँ हाथ काटना पड़ा। इस साक्षी ने आगे यह भी कथन किया कि एक हाथ कट जाने तथा गले में छेद हो जाने के कारण वादी दिव्यांग हो गया है। इस साक्षी ने जिरह में यह भी कथन किया कि वह न तो वादी का रिश्तेदार है और न ही वह वादी के घर आया-जाया करता था। इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि जिस मोहल्ले में वादी रहता था, वहाँ के सभी निवासियों ने वादी के उपचार के लिए आर्थिक सहयोग किया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



38. वादी ने डॉ. भारत सेठी, पीडब्ल्यू-3 को परीक्षित कराया, जिन्होंने भारत रश्मि नर्सिंग होम, पीलीभीत में उसका उपचार किया था। उन्होंने यह सिद्ध किया कि विद्युत से झुलसने के कारण वादी के बाएँ हाथ में गैंग्रीन विकसित हो गया था और वादी का जीवन बचाने के लिए उसका बायाँ हाथ काटना पड़ा, अन्यथा विष पूरे शरीर में फैल जाता। इस साक्षी ने यह सिद्ध किया कि वादी दिनांक 09.01.2007 से 19.02.2007 तक उनके नर्सिंग होम में भर्ती रहा, जिसके दौरान वादी का बायाँ हाथ काटा गया। इस साक्षी ने डायमंड मेडिकोज द्वारा जारी किए गए उन नकद ज्ञापनों को भी सिद्ध किया, जो वादी द्वारा अपने उपचार हेतु खरीदी गई दवाओं के संबंध में जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त, उन्होंने अपने नर्सिंग होम द्वारा जारी किए गए डिस्चार्ज प्रमाण-पत्र को भी सिद्ध किया, जिसमें उल्लिखित था कि वादी के बाएँ हाथ में विद्युत से झुलसने के पश्चात गैंग्रीन विकसित हो गया था तथा गर्दन, दाएँ हाथ और दाएँ निचले अंग में अत्यधिक संक्रमित घाव थे, जिसके उपचार हेतु उसकी कोहनी के नीचे से बायाँ हाथ काटना पड़ा तथा दाएँ हाथ और दाएँ जांघ पर त्वचा प्रत्यारोपण (स्किन ग्राफ्टिंग) किया गया।

39. वादी ने रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बरेली द्वारा जारी डिस्चार्ज कार्ड भी दाखिल किया है, जिसके अनुसार वह दिनांक 19.01.2010 से 02.02.2010 तक विद्युत से जलने के पश्चात ट्रेकियोस्टॉमी के पश्चात अनुवर्ती उपचार (एफ.यू.सी.) हेतु अस्पताल में भर्ती रहा, जहाँ दिनांक 25.01.2010 को उसका ऑपरेशन किया गया। वादी ने मुख्य चिकित्साधिकारी, पीलीभीत द्वारा जारी दिनांक 12.09.2007 का अपना दिव्यांगता प्रमाण-पत्र भी दाखिल किया है, जिसके अनुसार बाएँ अग्रबाहु (फोरआर्म) को कोहनी के नीचे से काटे जाने के कारण उसे 65% स्थायी दिव्यांगता हुई है।

40. वादी पीडब्ल्यू-1 एवं पीडब्ल्यू-2 के उपर्युक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि दिनांक 02.01.2007 को लगभग अपराह्न 1:00 से 1:30 बजे के मध्य, जब वादी अपने घर के बाहर सड़क पर खड़ा था, तभी विद्युत प्रवाहित उच्च वोल्टेज विद्युत लाइन टूटकर उसके ऊपर गिर गई, जिसके कारण वह गंभीर रूप से झुलस गया। चोटों की प्रकृति वादी की दिनांक 02.01.2007 की चोट रिपोर्ट के साथ-साथ अभिलेख पर उपलब्ध उपचार संबंधी दस्तावेजों तथा उसका उपचार करने वाले डॉ. भारत सेठी, पीडब्ल्यू-3 के साक्ष्य से सिद्ध होती है। उसके बाएँ हाथ में गैंग्रीन विकसित हो जाने के कारण उसका हाथ कोहनी के नीचे से काटना पड़ा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

41. प्रतिवादी ने अपने लाइनमैन एवं पेट्रोलमैन को क्रमशः डीडब्ल्यू-1 एवं डीडब्ल्यू-2 के रूप में परीक्षित कराया, जिन्होंने इस बात से इंकार किया कि कथित दुर्घटना की तिथि को विद्युत लाइन में कोई खराबी थी, जो न तो टूटी थी और न ही इस संबंध में प्रतिवादी के कार्यालय में कोई शिकायत प्राप्त हुई थी। उन्होंने आगे कथन किया कि यदि कोई विद्युत लाइन टूट जाती है तो विद्युत आपूर्ति स्वतः बंद हो जाती है। यद्यपि डीडब्ल्यू-1 ने कथन किया कि कथित दुर्घटना स्थल के निकट कोई उच्च वोल्टेज विद्युत लाइन नहीं थी और निम्न वोल्टेज विद्युत लाइन भी कुछ दूरी पर थी, किन्तु जिरह में उसने स्वीकार किया कि दुर्घटना स्थल पर उच्च वोल्टेज विद्युत लाइन थी। डीडब्ल्यू-1 ने यह भी स्वीकार किया कि उच्च वोल्टेज विद्युत लाइन में 11,000 वोल्ट या उससे अधिक विद्युत प्रवाहित होती है, जबकि निम्न वोल्टेज विद्युत लाइन 220 या 440 वोल्ट की होती है। डीडब्ल्यू-2 ने जिरह में स्वीकार किया कि मोहल्ला अहमदनगर में कुछ व्यक्तियों ने उच्च वोल्टेज विद्युत लाइन स्थापित होने के बाद उसके नीचे अपने मकान बना लिए हैं। उसने यह भी स्वीकार किया कि उच्च वोल्टेज विद्युत लाइन में समय-समय पर खराबियाँ उत्पन्न होती रहती हैं, जिन्हें शिकायत प्राप्त होने पर समय-समय पर ठीक किया जाता है। डीडब्ल्यू-2 ने यह भी स्वीकार किया कि एक मूवमेंट रजिस्टर रखा जाता है, जिसमें यह अंकित किया जाता है कि कितनी बार और कब शिकायतें प्राप्त हुईं, उनका कब निस्तारण किया गया तथा शिकायतों की प्रकृति क्या थी, किन्तु यह रजिस्टर विचारण न्यायालय के समक्ष कभी प्रस्तुत नहीं किया गया। इसका कारण यह बताया गया कि वर्ष 2007 में भारी वर्षा के कारण वह नष्ट हो गया था, जैसा कि डीडब्ल्यू-1 ने अपनी जिरह में कथन किया है।

42. यह स्पष्ट है कि विद्युताघात के मामलों में पूर्ण दायित्व का सिद्धांत लागू होता है तथा वादी से यह सिद्ध करने की अपेक्षा नहीं की जाती कि दुर्घटना प्रतिवादी के सेवकों एवं कर्मचारियों द्वारा उच्च वोल्टेज विद्युत लाइन के अनुरक्षण में की गई लापरवाही के कारण हुई, जिसके कारण खराब अनुरक्षण के चलते वह टूट गई। वादी को केवल यह सिद्ध करना आवश्यक है कि उसे विद्युताघात के कारण चोटें आईं, जिसे उसने अपने साक्ष्य, पीडब्ल्यू-2 एवं पीडब्ल्यू-3 के साक्ष्य से, जैसा कि पूर्व में विवेचना की गई है, सफलतापूर्वक सिद्ध कर दिया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

43. वादी ने लोक दायित्व बीमा अधिनियम के अंतर्गत वाद संख्या 11/2008-09 मोहम्मद निसार उर्फ बड़े लल्ला बनाम उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन में पीलीभीत के जिलाधिकारी द्वारा पारित दिनांक 20.06.2011 के आदेश की प्रमाणित प्रति भी दाखिल की है (प्रदर्श-1), जिसमें यह प्रकट होता है कि जिलाधिकारी ने उसकी दिनांक 02.01.2007 की चोट रिपोर्ट पर विचार किया, जिसके अनुसार उसे विद्युत से जलने की 6 चोटें आई थीं। जिलाधिकारी ने दैनिक जागरण समाचार पत्र में दिनांक 03.01.2007 को प्रकाशित समाचार रिपोर्ट पर भी विचार किया, जो वादी को विद्युताघात लगने के संबंध में थी, जब एक विद्युत प्रवाहित तार उसके ऊपर गिर गया था। दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर जिलाधिकारी ने यह निष्कर्ष दिया कि वादी को वास्तव में विद्युताघात लगा था, जिसके कारण उसे चोटें आईं तथा वह अपने उपचार में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी था। इस आधार पर जिलाधिकारी ने वादी के आवेदन को अनुमन्य करते हुए उपचार व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में ₹12,500/- प्रदान किए, जिसका भुगतान प्रतिवादी द्वारा किया जाना था। यह स्पष्ट है कि जिलाधिकारी के उपर्युक्त आदेश को प्रतिवादी द्वारा चुनौती नहीं दी गई है, अतः यह भी प्रतिवादी की उच्च वोल्टेज विद्युत लाइन से विद्युताघात होने संबंधी वादी के मामले की पुष्टि करता है।

44. वर्तमान वाद में प्रतिकर का निर्धारण उसी प्रकार किया जाना है, जिस प्रकार मोटर दुर्घटना दावा वाद में किया जाता है, जिसमें वादी का व्यवसाय, उसकी मासिक आय, चोटों की प्रकृति, चाहे वे साधारण हों अथवा गंभीर, स्थायी दिव्यांगता की मात्रा, स्थायी दिव्यांगता के कारण आय अर्जित करने की क्षमता में हुई हानि को ध्यान में रखा जाता है। वादी स्थायी दिव्यांगता के कारण भविष्य में होने वाली आय की हानि, उसके द्वारा किए गए एवं भविष्य में किए जाने वाले उपचार व्यय, भविष्य की संभावनाओं के कारण आय की हानि, पीड़ा एवं कष्ट के लिए प्रतिकर, जीवन की सुविधाओं एवं आनंद की हानि, विशेष आहार तथा परिवहन पर किए गए व्यय के लिए प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी है।

45. शीर्ष न्यायालय ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य (2017) 16 एस.सी.सी. 680 के वाद में यह निर्णय दिया है कि जहाँ मृतक/घायल स्व-नियोजित हो और उसकी आयु 40 वर्ष तक हो, तो वह अपनी आय के 40% की दर से भविष्य की संभावनाओं के लिए प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी है। यह भी निर्णय दिया गया कि जहाँ

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

मृतक/घायल की आयु 21 से 25 वर्ष के मध्य हो, वहाँ प्रतिकर के निर्धारण हेतु 18 का गुणक लागू किया जाना चाहिए।

46. शीर्ष न्यायालय ने सिद्राम बनाम डिवीजनल मैनेजर, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य (2023) 3 एस.सी.सी. 439 के वाद में, गंभीर स्थायी दिव्यांगता के मामलों में भविष्य की संभावनाओं के लिए भी प्रतिकर प्रदान किए जाने का निर्देश देते हुए निम्नानुसार निर्णय दिया:-

"31. "अब यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई स्थायी दिव्यांगता के मामलों में भी दावेदार, भविष्य में होने वाली आय की हानि के लिए प्रतिकर के अतिरिक्त, भविष्य की संभावनाओं के लिए भी राशि प्राप्त करने का अधिकारी है। हमने विभिन्न अधिकरणों द्वारा पारित अनेक आदेश देखे हैं, जिन्हें दुर्भाग्यवश विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा भी अनुमोदित किया गया है, जिनमें यह दृष्टिकोण अपनाया गया है कि गंभीर चोटों के परिणामस्वरूप स्थायी दिव्यांगता होने वाले दुर्घटना मामलों में दावेदार भविष्य की संभावनाओं के लिए प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। यह विधि की सही स्थिति नहीं है। गंभीर चोटों के परिणामस्वरूप स्थायी दिव्यांगता वाले दुर्घटना मामलों में भविष्य की संभावनाओं के लिए प्रतिकर प्रदान किए जाने की संभावना को बाहर करने का कोई औचित्य नहीं है। इस प्रकार की संकीर्ण व्याख्या तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि दुर्घटना मामलों में जीवित पीड़ित के जीवन में आगे प्रगति करने की संभावना को पूर्णतः अस्वीकार कर देती है, जबकि पीड़ित की मृत्यु होने की स्थिति में भविष्य की संभावनाओं की ऐसी संभावना को स्वीकार करती है।"

47. यह स्पष्ट है कि वादी को विद्युताघात के कारण उसके बाएँ हाथ में गंभीर रूप से जलने की चोटें आईं, जो उसकी चोट रिपोर्ट तथा डॉ. भारत सेठी, पीडब्ल्यू-3 की गवाही से सिद्ध होती हैं। उन्होंने कथन किया है कि वादी के संक्रमित घाव में गैंग्रीन विकसित हो गया था तथा शरीर में विष फैलने से रोकने और उसके जीवन को बचाने के लिए उसका बायाँ हाथ कोहनी के नीचे से काटना पड़ा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

48. यह स्पष्ट है कि यदि वादी को विद्युताघात के कारण उसके बाएँ हाथ में चोटें नहीं आई होतीं, तो उसके हाथ में गैंग्रीन विकसित नहीं होता और उसके जीवन को बचाने के लिए उसका बायाँ हाथ भी नहीं काटना पड़ता। यह स्पष्ट है कि गैंग्रीन/हाथ काटे जाने तथा वादी को हुई चोटों के मध्य प्रत्यक्ष संबंध है।

49. वादी ने सिद्ध किया है कि वह राजमिस्त्री था और दुर्घटना के समय लगभग ₹150/- प्रतिदिन कमा रहा था, किन्तु उसके बाएँ हाथ के कट जाने के कारण वह कोई कार्य करने में असमर्थ हो गया है और उसका भविष्य अंधकारमय हो गया है। यद्यपि वादी ने अपना स्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार स्थायी दिव्यांगता की मात्रा 65% थी, किन्तु विचारण न्यायालय ने दिव्यांगता के कारण उसकी आय अर्जित करने की क्षमता में हुई हानि को केवल 50% माना है, जो त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि वादी अब कोई कार्य करने में सक्षम नहीं है। यह स्पष्ट है कि वादी का बायाँ हाथ कोहनी के नीचे से काट दिया गया है, अतः वह राजमिस्त्री एवं मजदूर का वह कार्य नहीं कर सकता, जो वह दुर्घटना से पूर्व करता था। अतः उसकी कार्यात्मक दिव्यांगता 100% है। किन्तु चूँकि वादी ने अपील अथवा क्रॉस आपत्ति दाखिल करके विचारण न्यायालय के निर्णय को चुनौती नहीं दी है, इसलिए उसे देय प्रतिकर की राशि में वृद्धि नहीं की जा सकती।

50. विचारण न्यायालय ने वादी को स्थायी दिव्यांगता के कारण भविष्य की आय की हानि के लिए केवल ₹2,50,000/- का एकमुश्त प्रतिकर प्रदान किया है, किन्तु यह राशि किस आधार पर निर्धारित की गई है, यह स्पष्ट नहीं है। दुर्घटना के समय वादी की आयु लगभग 24 वर्ष थी (जिसमें 18 का गुणक लागू होता है) और यदि उसकी मासिक आय ₹3,000/- प्रति माह मानी जाए तथा उसकी आय अर्जित करने की क्षमता में हानि को 50% भी माना जाए, तब भी वह स्थायी दिव्यांगता के कारण भविष्य की आय की हानि के लिए $1,500 \times 12 \times 18 = ₹3,24,000/-$ के प्रतिकर का अधिकारी था। किन्तु विचारण न्यायालय ने इसके लिए केवल ₹2,50,000/- का एकमुश्त प्रतिकर प्रदान किया है, जो अत्यंत अपर्याप्त है, क्योंकि यदि 100% कार्यात्मक दिव्यांगता को आधार मानकर प्रतिकर की गणना की जाए, तो वादी $₹3,000 \times 12 \times 18 = ₹6,48,000/-$ के प्रतिकर का अधिकारी है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



51. यह भी स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने वादी की भविष्य की संभावनाओं के कारण आय की हानि के लिए कोई प्रतिकर प्रदान नहीं किया है। विचारण न्यायालय ने केवल पीड़ा एवं कष्ट तथा विशेष आहार के लिए ₹50,000/- का प्रतिकर प्रदान किया है, जो इस तथ्य को देखते हुए भी अपर्याप्त है कि उसका बायाँ हाथ कोहनी के नीचे से काटना पड़ा था। दवाओं की खरीद के संबंध में ₹13,830/- की राशि के नकद ज्ञापनों, चिकित्सकों के परामर्श-पत्रों तथा डिस्चार्ज कार्ड पर विचार करने के पश्चात विचारण न्यायालय ने वादी को चिकित्सा व्यय के लिए ₹1,00,000/- की राशि प्रदान की है, जो अपर्याप्त है, क्योंकि विचारण न्यायालय ने भविष्य में होने वाले चिकित्सा व्यय के लिए कोई प्रतिकर प्रदान नहीं किया है। समग्र रूप से, विचारण न्यायालय ने वादी को कम प्रतिकर प्रदान किया है, जिसे इस अपील में और कम नहीं किया जा सकता। विचारण न्यायालय ने वादी को लोक दायित्व बीमा अधिनियम के अंतर्गत उसके द्वारा संस्थित वाद में पीलीभीत के जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की गई ₹12,500/- की राशि को समायोजित करने का भी निर्देश दिया है, जो उचित है।

52. उपर्युक्त कारणों से, विचारण न्यायालय द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुँचने में कि वादी को प्रतिवादी की उच्च वोल्टेज विद्युत लाइन से विद्युताघात के कारण चोटें आईं तथा उसे ₹3,87,500/- का प्रतिकर वाद लंबित रहने की अवधि (pendentelite) तथा भविष्य के लिए 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित प्रदान किया गया, कोई अवैधता नहीं की गई है। इस निर्णय में इस न्यायालय द्वारा अपनी अपीलीय अधिकारिता का प्रयोग करते हुए हस्तक्षेप किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। अपील गुण-दोष रहित है और निरस्त किए जाने योग्य है।

53. तदनुसार, अपील सर्वत्र व्यय सहित निरस्त की जाती है। परिणामस्वरूप, विचारण न्यायालय का दिनांक 28.11.2013 का आक्षेपित निर्णय एवं डिक्री पुष्टि की जाती है।

54. यदि कोई अंतरिम आदेश हो तो वह निरस्त किया जाता है।

55. कार्यालय को विचारण न्यायालय का अभिलेख वापस प्रेषित करने का निर्देश दिया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(संदीप जैन, न्यायमूर्ति)

31 मार्च, 2026

जितेन्द्र

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।